रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, बुधवार, मई 9, 2018/ वैशाख 19, 1940
No. 170] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2018/VAISAKHA 19, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2018

सं.1(5)/2018-एसपी-1.—केंद्रीय सरकार गन्ने की लागत की भरपाई करने और चीनी मौसम 2017-18 के लिए किसानों के गन्ना मूल्य की देय राशि का यथासमय भुगतान सुगम बनाने की दृष्टि से एतदद्वारा चीनी मिलों के लिए सहायता हेतु स्कीम निम्नानुसार अधिसूचित करती है:

1. सहायता का प्रयोजन:

सहायता के रूप में प्रदान की गई निधियों का उपयोग वर्तमान चीनी मौसम 2017-18 के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में वर्तमान चीनी मौसम 2017-18 हेतु किसानों के गन्ना मूल्य की देय राशि का भुगतान करने और पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

2. पात्रता

जो मिलें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगी वे इस स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्र होंगी:-

(क) जिन मिलों के पास इथेनोल उत्पादन की क्षमता है और जिन्होंने इथेनोल की आपूर्ति करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने इथेनोल मौसम 2017-18 (दिसंबर, 2017-नवंबर, 2018) के दौरान तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल के साथ ब्लेंडेड इथेनोल कार्यक्रम (ईबीपी) के अंतर्गत इथेनोल की मांगी गई मात्रा की कम से कम 80 प्रतिशत की आपूर्ति कर दी हो।

(ख) मिलों ने चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा यथा निर्धारित गन्ने की पेराई, चीनी के उत्पादन, चीनी और सह-उत्पादों की बिक्री आदि से संबंधित आंकड़ों संबंधी ऑनलाइन अद्यतन विवरणी प्रपत्र-2 में दाखिल की हो।

(ग) मिल द्वारा चीनी मौसम 2017-18 के दौरान चीनी मिलों को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी सभी आदेशों/निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया हो।

3. सहायता की रूपरेखा और सीमा:

(i) चीनी मिलों द्वारा खरीदे गए गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए उन्हें चीनी उत्पादन हेतु पेराई किए गए गन्ने के लिए 5.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) मिल को चीनी मौसम 2017-18 के दौरान वास्तव में पेराई किए गए गन्ने पर अथवा पिछले दो चीनी मौसमों और वर्तमान मौसम (फरवरी, 2018 तक) के उनके औसत चीनी उत्पादन के आधार पर पेराई किए गए पूर्व में अनुमानित 2800 लाख टन पेराई किए जाने वाले गन्ने (चीनी मौसम 2017-18 के लिए) के आवंटन के परस्पर अनुपात, जो भी कम हो, पर सहायता की पात्रता होगी। किसी भी नई चीनी मिल को, जिसने चीनी मौसम 2017-18 में पहली बार गन्ने की पेराई शुरू की है, गन्ने की वास्तविक पेराई के आधार पर सहायता की पात्रता होगी।

(iii) सहायता का उपयोग वर्तमान चीनी मौसम 2017-18 के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में वर्तमान चीनी मौसम 2017-18 हेतु किसानों के गन्ना मूल्य की देय राशि का भुगतान करने और पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

(iv) सहायता का भुगतान मिलों की ओर से सीधे किसानों को किया जाएगा और इसे बकाया सहित किसानों को गन्ना मूल्य की देय राशि के प्रति समायोजित किया जाएगा। बाद में यदि कुछ राशि शेष रहती है तो इसे मिल के खाते में जमा कराया जाएगा।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता किसानों के खातों में सीधे जमा की जाती है, चीनी मिल किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग नो-लियन (No-Lien) खाता खोलेगी और उक्त बैंक को गन्ना किसानों के बैंक खातों के ब्यौरे सहित उनकी सूची तथा उचित और लाभकारी मूल्य से संबंधित वर्तमान चीनी मौसम 2017-18 के लिए देय गन्ना मूल्य बकाया की सीमा और पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का ब्यौरा देगी, जो संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त/गन्ना निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित होगा।

(vi) वित्तीय सेवाएं विभाग इस संबंध में बैंकों को उपयुक्त अनुदेश जारी करेगा।

(vii) चीनी मिल उपर्युक्त पैरा (2) में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने के बाद इस अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र-क में स्कीम के तहत सहायता के लिए दावा "मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली" को प्रस्तुत करेगी।

4. उपयोगिता प्रमाण-पत्र:

संबंधित चीनी मिल सहायता जारी करने की तारीख से तीन माह के भीतर यह प्रमाणित करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि इस प्रकार जारी की गई सहायता का उपयोग इस स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है, जो संबंधित गन्ना आयुक्त/निदेशक (चीनी) द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होगा। निर्धारित समय के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर मिल को केंद्रीय सरकार द्वारा बाद में घोषित किसी अन्य स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने से वारित कर दिया जाएगा और पहले से जारी की राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

5. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मासिक आधार पर घरेलू और वैश्विक बाजारों, दोनों में चीनी के मूल्यों की बारीकी से निगरानी करेगा। यदि उद्योग की प्रचालनात्मक व्यवहार्यता के लिए अपेक्षित स्तर से मूल्य काफी अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है, तो इस स्कीम में संशोधन किया जाएगा अथवा इसे वापस ले लिया जाएगा।

6 जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

प्रपत्र-क

सहायता के लिए दावा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन फार्म

(चीनी मिलों द्वारा भरे जाने हेतु)

1. चीनी मिल का विवरण:

(क) नाम:

(ख) प्लांट कोड और संक्षिप्त नाम:

(ग) पूरा पता:

(घ) टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल:

2. मिल द्वारा पेराई किए गए गन्ने का विवरण:

(क) गन्ने की पेराइ शुरू करने की तारीख:

(ख) 2017-18 मौसम के दौरान पेराई किए गए गन्ने की मात्रा (टन में):

(ग) 2017-18 मौसम के दौरान उत्पादित चीनी की मात्रा (टन में):

(घ) सहायता की दर:

(ङ) दावा की गई सहायता की कुल राशि (ख*घ):

3. मिल द्वारा हासिल कार्य-निष्पादन का विवरण:

(क) 2017-18 इथेनोल मौसम के दौरान संविदाकृत इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में):

(ख) तेल विपणन कंपनियों द्वारा मांगी गई इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में):

(ग) आपूर्ति की गई इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में):

(घ) क्या प्रपत्र-2 में अद्यतन आंकड़े ऑनलाईन प्रस्तुत किए गए हैं: हां/नहीं

(ड.) क्या खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेशों/निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है: हां/नहीं
(यदि हां तो सत्यापन हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित समर्थक दस्तावेज पस्तुत करें)

4. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:
(क) संबंधित गन्ना आयुक्त/शर्करा निदेशक से चीनी मिल द्वारा पेराई किए गए गन्ने की मात्रा दर्शाते हुए प्रमाण-पत्र।

(ख) अनुबंध-1 के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 2017-18 के दौरान इथेनोल की आपूर्ति से संबंधित सूचना, जो संबंधित तेल विपणन कंपनियों द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

(ग) पात्रता का आकलन करने के लिए अधिसूचना के पैरा-2 में उल्लिखित दस्तावेज।

(घ) सहायता का भुगतान करने के लिए आरटीजीएस कोड आदि सहित अलग बैंक खाते [नो-लियन खाता (No-Lien account)] का विवरण (बैंक अधिदेश प्रपत्र की प्रति संलग्न की जाए)।

(ड.) अनुबंध-2 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पूर्व रसीदी बिल

स्थान: (चीनी मिल के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक: (कृपया हस्ताक्षरकर्ता के नाम और पदनाम का उल्लेख करें और मुहर लगाएं)

अनुबंध-1

इथेनोल मौसम 2017-18 के दौरान ईबीपी के अंतर्गत तेल विपणन कम्पनियों को इथेनोल की आपूर्ति से संबंधित आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

चीनी मिल का नाम	राज्य	तेल विपणन कम्पनियों के साथ संविदाकृत इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में)	तेल विपणन कम्पनियों द्वारा मांग की गई इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में)	तेल विपणन कम्पनियों को आपूर्तित इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में)	अभ्युक्ति
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)

स्थान: (चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख:

(कृपया हस्ताक्षरकर्ता के नाम और पदनाम का उल्लेख करें और मुहर लगाएं)

स्थान: (तेल विपणन कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख:

(कृपया हस्ताक्षरकर्ता के नाम और पदनाम का उल्लेख करें और मुहर लगाएं)

अनुबंध-2

सहायता के भुगतान हेतु पूर्व रसीदी बिल

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

कारखाने का नाम और पता : प्लांट कोड:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से .... रुपए (............ रुपए केवल) प्राप्त किए।

घोषणा:

1. मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना सही है और इसमें से कोई भी संगत सूचना छुपाई नहीं गई है।
2. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दावा दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2018 तक पेराई किए गए गन्ने की सहायता के प्रति पूर्ण और अंतिम भुगतान है।
3. मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह दावा प्रस्तुत करने से पूर्व चीनी मिल को उपर्युक्त क्रम सं. 2 पर उल्लिखित अवधि के दौरान पेराई किए गए गन्ने की मात्रा के लिए भारत सरकार से कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई थी।
4. यदि ऊपर दिये गए दावे में कोई सूचना कभी भी असत्य पाई जाती है और यदि इस अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया हो, तो अपेक्षानुसार मैं मुझे प्राप्त दावे की ऐसी राशि ब्याज सहित केंद्र सरकार को वापस करने का एतदद्वारा अभिवचन देता हूं।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं उपर्युक्त चीनी मिल के प्रोप्राइटर अथवा भागीदार अथवा कम्पनी अथवा कब्जेदार अथवा मालिक की ओर से उपर्युक्त घोषणा करने और इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु सक्षम हूं।

स्थान: (चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख: (कृपया हस्ताक्षरकर्ता के नाम और पदनाम का उल्लेख करें और मुहर लगाएं)

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2018

No. 1(5)/2018-S.P.-I.—The Central Government, with a view to offset the cost of cane and facilitate timely payment of cane price dues of farmers for sugar season 2017-18, hereby notifies the Scheme for Assistance to Sugar Mills as under:

1. Purpose of Assistance:

The funds to be provided as assistance is to be used for payment of cane price dues of farmers for the current sugar season 2017-18 relating to the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane fixed by the Central Government for that sugar season and cane price arrears of previous sugar seasons.

2. Eligibility:

Mills which fulfill the following conditions, will be eligible for assistance under this Scheme:

(a) Mills having ethanol production capacity and who have signed contracts with Oil Marketing Companies (OMCs) for supply of ethanol, should have supplied at least 80% of indented quantity of ethanol under Ethanol Blended with Petrol Programme (EBP) to OMCs during 2017-18 ethanol season (December, 2017 – November, 2018).

(b) The mill should have filed updated online return in Proforma-II relating to data on crushing of cane, production of sugar, sale of sugar and by-products, etc as prescribed by DFPD under the provisions of Sugar (Control) Order, 1966.

(c) The mill should have fully complied with all the orders/directives of Department of Food and Public Distribution (DFPD) to the sugar mills during 2017-18 sugar season.

3. Modalities and Extent of Assistance:

(i) Assistance @ Rs. 5.50/qtl of cane crushed for production of sugar shall be provided to sugar mills to offset the cost of cane purchased by them.

(ii) The mills shall be entitled for assistance on actual cane crushed during 2017-18 sugar season or the proportionate inter-se allocation of earlier estimated 2800 Lakh MT of cane to be crushed (for sugar season 2017-18) on the basis of their average sugar production of last two sugar seasons and current season (up to February, 2018), whichever is lower. A new sugar mill which has commenced cane crushing for the first time in 2017-18 sugar season, shall be entitled for assistance on the basis of actual cane crushed.

(iii) The assistance is to be used for payment of cane price dues of the current sugar season 2017-18 relating to the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane fixed by the Central Government for that sugar season and cane price arrears of previous sugar seasons.

(iv) The assistance shall be paid directly to the farmers on behalf of the mills and be adjusted against the cane price dues payable to the farmers including arrears. Subsequent balance, if any, shall be credited into mill's account.

(v) In order to ensure that the assistance is directly credited into the accounts of farmers, the sugar mill shall open a separate no-lien account in a nationalized bank and furnish to that bank the list of farmers along with bank accounts details and extent of cane price dues payable for the current sugar season 2017-18 relating to FRP and cane price arrears of previous sugar seasons, duly certified by the Cane Commissioner / Director of Sugar of the state concerned.

(vi) The Department of Financial Services (DFS) shall issue suitable instructions to the banks in this regard.

(vii) The sugar mills shall submit the claim for assistance under the Scheme in the prescribed Proforma-A annexed with this notification after fulfilling the eligibility criteria as referred in para (2) above to the "Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar & Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi".

4. Utilization Certificate:

The sugar mill concerned shall submit utilization certificate duly counter signed by the respective Sugarcane Commissioner/Director(Sugar) within three months from the date of release of assistance certifying that the assistance so released has been utilized for the purpose specified in this Scheme. Any failure to submit the utilization certificate within stipulated time would debar the mill from availing benefit under any other scheme subsequently announced by the Central Government and action will be initiated for recovery of the amount already released.

5. DFPD shall closely monitor the prices of sugar, both in domestic as well as global markets on monthly basis. In case prices are assessed to be substantially higher than levels required for operational viability of the industry, the Scheme may be amended or withdrawn.

6. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing modify any of the provisions of this Scheme.

Proforma-A

APPLICATION FORM FOR SUBMISSION OF CLAIM

FOR ASSISTANCE

(To be furnished by sugar mills)

1. Details of sugar mills:

(a) Name:

(b) Plant code and short name:

(c) Complete address:

(d) Telephone(s) number, Fax number and email:

2. Details of Cane crushed by the mill :

(a) Date of start of cane crushing:

(b) Quantity of cane crushed during 2017-18 season (in MT):

(c) Quantity of sugar produced during 2017-18 season (in MT) :

(d) Rate of assistance:

(e) Total assistance amount claimed (b*d) :

3. Details of performance achieved by mills:

(a) Quantity of ethanol contracted during 2017-18 ethanol season (in Kilo ltrs):

(b) Quantity of ethanol indented by OMCs (in Kilo ltrs):

(c) Quantity of ethanol supplied (in Kilo ltrs) :

(d) Whether updated data in Proforma-II filed online: Yes/No.

(e) Whether all Orders/Directives of DFPD have been fully complied with: Yes/No

(If yes, furnish the supporting documents duly certified by the concerned State/UT authority for verification)

Details of documents to be enclosed :

(a) Certificate from Cane Commissioner/ Director of Sugar concerned indicating the quantity of sugarcane crushed by the sugar mill .

(b) Information relating to supply of ethanol during current sugar season 2017-18 as per Annexure- I duly certified by Oil Marketing Companies (OMCs) concerned.

(c) Documents as referred in Para 2 of the notification to assess eligibility.

(d) Details of separate bank account (no lien account) including RTGS code etc. for making payment of assistance (a copy of bank mandate form to be enclosed).

(e) Pre-receipted bills in the prescribed Proforma as at Annexure-II.

Place: (Signature of authorized signatory of the sugar mill)

Date: (Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)

Annexure-I

Statement showing data on Supply of Ethanol to Oil Marketing Companies (OMCs) under EBP during 2017-18 Ethanol Season (Dec'17 to Nov'18)

Name of the sugar mill	State	Quantity of ethanol contracted with OMCs (in Kilo ltrs)	Quantity of ethanol indented by OMCs (in Kilo ltrs)	Quantity of ethanol supplied to OMCs (in Kilo ltrs)	Remark
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)

Place: (Signature of authorized signatory of the sugar mill)

Date

(Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)

Place: (Signature of authorized signatory of the OMC)

Date.

(Please indicate the name and designation of the Signatory and affix the seal)

Annexure–II

Pre-receipted bill for payment of Assistance to Sugar Mills

(To be furnished in duplicate)

Name and address of the factory: - Plant Code: ……..

Received a sum of Rs. ______________________________ (Rs. ………………only)

from the Department of Food and Public Distribution.

DECLARATION:

1. I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no relevant information has been concealed thereof.
2. I hereby declare that the above claim is in full and final settlement against the assistance of cane crushed during the period from 01.10.2017 to 30.09.2018 .
3. I hereby certify that sugar mill did not receive assistance amount from the Government of India for the quantity of cane crushed during the period mentioned at serial number 2 above prior to the submission of the this claim.
4. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me along with interest, as may be required if any information given in the claim above is found to be incorrect at any time and if the provisions of this notification are not adhered to.
5. I also declare that I am competent to make the foregoing declaration and sign these documents on behalf of the proprietor or partner or company or occupier or owner of the above sugar mill.

Place: (Signature of authorized signatory of the sugar mill)

Date: (Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.11 19:55:18 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.